P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-VIII* April-2016

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम : महिला सहभागिता के विशेष संदर्भ में

महेन्द्र त्रिपाठी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
काशी नरेश राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
ज्ञानपुर, भदोही, उ0प्र0

सारांश

ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन व स्थानीय रोजगार आदि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फरवरी 2006 में भारत वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (जिस बाद में महात्मा गांधी नरेगा कहा गया) प्रारम्भ किया गया। इस अधिनियम में कार्य करने के इच्छुक अकुशल ग्रामीण व्यक्ति को (प्रति परिवार) 100 दिन के रोजगार की गारन्टी प्रदान की गयी है। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उपबंध यह है कि इसमें एक तिहाई श्रम दिवस महिलाओं के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। यही नहीं कार्य स्थल पर उनके बच्चों के देखलाभ की भी व्यवस्था है। ग्रामीण रोजगार सृजन का यह व्यापक कार्यक्रम महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण व उन्हें स्वावलम्बी बनाने का यह महत्वपूर्ण अधिनियम है। प्रस्तुत प्रपत्र में स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण महिला मजदूरों के आत्म विश्वास में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है परन्तु अभी भी बहुत सी चुनौतियाँ व मुद्दे विद्यमान है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में महिला श्रम दिवसों की प्रतिशतता कुल सृजित श्रम दिवस का केवल 22.17 है, जबकि समग्र राष्ट्र स्तर पर यह 52.8 प्रतिशत है। देश के सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल में यह प्रतिशतता 93.37 है जो सर्वाधिक है। बुनियादी संवैधानिक निकायों में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी को सुनिश्चित करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

मुख्य शब्द : जाब कार्ड, अकुशल मजदूर, वित्तीय समावेशन, सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ, आर्थिक स्वावलंबन, स्वयं सहायता समूह व महिला सशक्तीकरण।

प्रस्तावना

भारत वर्ष में विकास की महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक इकाई 'गाँव' है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का 'अन्तिम आदमी' गाँवों में ही निवास करता है। उनका मानना था कि देश की प्रगति तभी सम्भव है जब हम गाँव को केन्द्र में रखकर योजनाएँ बनाएँ। गांधी जी के इन्हीं सपनों से प्रेरित होकर 02 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) की शुरुआत की गयी। यह अधिनियम 02 फरवरी 2006 को लागू हुआ था तथा इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप में किया गया। प्रथम चरण में इसे देश के सर्वाधिक 200 पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। सन् 2007–08 में इसके दूसरे चरण में इसे देश के 130 और जिलों में लागू किया गया। 01 अप्रैल, 2008 से शुरू इसके तीसरे चरण में इसे भारत के शेष सभी ग्रामीण जिलों में भी अधिसूचित किया गया। इस प्रकार महात्मा गांधी नरेगा के तहत देश के सभी ग्रामीण जिलों को शामिल कर लिया गया है। महात्मा गांधी नरेगा विश्व का संभवतः पहला कानून है जिसमें व्यापक पैमाने पर मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गयी है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग आधारित, पारदर्शी, विकासोन्मुख, सुनिश्चित रोजगार प्रदायी ग्रामीण विकास की एक ऐतिहासिक योजना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण परिवार के सदस्यों को जो अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, वर्ष में 100 दिनो का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। वस्तुतः यह अधिनियम लोगों के क्रय शक्ति को बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रमुख उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया। इसका अन्य उद्देश्य ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना, उनका व्यापक विकास करना, उनकी आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना तथा पर्यावरण संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण को भी सुनिश्चित करना भी है। मनरेगा के कार्यान्वयन में बुनियादी क्रियान्वयन इकाई 'ग्राम पंचायत' और लाभार्थी इकाई 'परिवार' है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में' निवासरत समस्त ग्रामीण

परिवार के वयस्क सदस्य जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें लिखित या मौखिक रूप में ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण कराना होता है। ग्राम पंचायत आवेदक की जांच के पश्चात उसके परिवार को एक जॉब कार्ड निर्गत करती है। यह जाब कार्ड निर्गत तिथि से 5 वर्ष तक के लिए वैध होगा तथा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात एक माह के अन्दर इसे ग्राम पंचायत द्वारा नवीनीकृत किया जायेगा। अगर 15 दिनों के अन्दर आवेदक को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे नकद बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। बेरोजगारी भत्ते की राशि को निश्चित करना राज्य सरकार पर निर्भर है। बेरोजगारी भत्ते की राशि पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के 1/4 के बराबर और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी के आधे के बराबर होगी। महात्मा गांधी नरेगा का सबसे **महत्वपूर्ण उपबंध यह है कि कुल रोजगार सृजन में एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। यदि मजदूरों में एक तिहाई महिलाएं नहीं हैं तो महिलाओं को विशेष रूप से अकेली और विकलांग महिलाओं को आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।** यदि कार्य स्थल पर 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के 5 से अधिक बच्चे हैं तो एक व्यक्ति या महिला को बच्चों की देखभाल हेतु रखने का प्रावधान है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिन के भीतर बैंक या डाकघर का माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी तथ्य है कि यदि कार्यस्थल 5 किमी0 से अधिक दूर है तो उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जायगा।

अध्ययन का उद्देश्य

ग्रामीण भारत में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वर्ष 2006 से क्रियान्वित महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण विकास के साथ ही इस कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता के द्वारा उनके सशक्तीकरण का भी पावधान सुनिश्चित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन इसी सन्दर्भ में प्रासंगिक है। इस अधिनियम के लागू होने के एक दशक पश्चात् हमारे देश की ग्रामीण महिला श्रमिकों की विभिन्न प्रमुख राज्यों के अन्तर्गत सहभागिता कैसी रही है, कुल सृजित श्रम दिवसों में महिला श्रमिकों की क्या स्थिति है। (क्या प्रावधान के अनुरूप उन्हें न्यूनतम एक–तिहाई राजगार का अवसर प्राप्त हुआ या नहीं) की जिज्ञासा से यह अध्ययन किया गया।

इस भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत द्वितीयक ऑकड़ों को प्रयुक्त किया गया है। इस प्रपत्र के द्वारा महात्मा गॉधी ग्रामीण गारन्टी अधिनियम के क्रियान्वयन में महिला श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौमियों व प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण किया गया है जो महिला सशक्तीकरण व समग्र ग्रामीण विकास से जुड़ी नीतियों हेतु अत्यंत प्रासंगित हो सकता है।

मनरेगा के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख कार्यों को सम्मिलित किया गया है

1. जल संस्थान और जलशस्य संचय।
2. सूखे की रोकथाम (वृक्षारोपण एवं वनारोपण सहित) निर्माण।
3. आपदा तैयारी में सुधार करना, बाढ़ सुरक्षा करना, जल निकासी की व्यवस्था, सड़कों का जीर्णोद्धार एवं बाढ़ जलमार्गों की मरम्मत करना आदि।
4. भूमि विकास एवं कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना।
5. अनुसूचित जनजाति/गरीबी की रेखा से नीचे (बी0पी0एल0)/इंदिरा आवास योजना लाभान्वितों तथा भूमि सुधार लाभान्वितों की जमीन के लिए लघु सिंचाई, बागवानी एवं भूमि विकास।
6. ग्राम पंचायतों के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों, परिसंधों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, चक्रवात आश्रय, ग्रामीण हाटों और ग्राम या ब्लाक स्तर पर शवदाह गृह के लिए भवनों का संनिर्माण।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की परियोजनाओं की सूची तैयार करनी होती है। परियोजना की सूची ग्राम सभा द्वारा तय की गयी प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाएगी। कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होगी। मजदूरी और सामग्री पर व्यय का अनुपात 60:40 का रहेगा। ठेकेदारों तथा श्रम विस्थापन मशीनरी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जायेगा। इस कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं जवाहदेही सुनिश्चित करने हेतु यह प्रावधान है कि–

1. योजना के अन्तर्गत सभो रिकॉर्ड और काम की जांच ग्रामसभा द्वारा नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा की जायेगी।
2. एक उत्तरदायी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु शिकायत निवारण व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान।
3. योजना से जुड़े सभी खाते और रिकॉर्ड जनता के समक्ष उपलब्ध होने चाहिए।

यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी नरेगा भारतीय इतिहास में नियोजित या कार्यान्वित पिछले किसी भी मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से हटकर एक आमूलचूल बदलाव है। यह अपने पैमाने, रचना और केन्द्र बिन्दु में सबसे अलग है जिसमें एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन और जीविका उपार्जन परिप्रेक्ष्य शामिल है।

महात्मा गांधी नरेगा की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ[1] निम्नांकित है

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा 2006–2012 के पृष्ठ–X के अनुसार–

1. अपनी शुरुआत (2006) से 2012 तक इस कार्यक्रम में लगभग `1,10,000 करोड़ ग्रामीण परिवारों को मजदूरी भुगतान के रूप में सीधे दिये गये और लगभग `1200 करोड़, श्रम दिवस का रोजगार सृजित किया गया। वर्ष 2008 से औसतन प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया।
2. 80 प्रतिशत परिवारों को सीधे बैंक/डाकघर खातों से भुगतान किया गया और 10 करोड़ नए बैंक/डाकघर खाते खोले गये। इससे 'वित्तीय समावेशन' भी सशक्त हो रहा है।
3. महात्मा गांधी अधिनियम 2005 प्रतिवेदन (2 फरवरी 2015 को प्रकाशित) के अनुसार वित्तीय वर्ष

2009–10 से 2014–15 तक कुल जारी किये गये जाब कार्ड, उपलब्ध कराये गये रोजगार तथा सृजित श्रम दिवसों में महिलाओं की स्थिति निम्नवत् है–

तालिका–1 महात्मा गांधी नरेगा का प्रदर्शन (राष्ट्रीय अवलोकन)

	वित्तीय वर्ष 2009–10	वित्तीय वर्ष 2010–11	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15 (31.12.14 तक)
कुल जारी किये गये जाब कार्ड (करोड़ में)	11.25 करोड़	11.98 करोड़	12.50 करोड़	13.06 करोड़	13.15 करोड़	13.00 करोड़
परिवारों को उपलब्ध कराये गये रोजगार (करोड़ में)	5.26 करोड़	5.49 करोड़	5.06 करोड़	4.99 करोड़	4.79 करोड़	3.60 करोड़
श्रम दिवस (करोड़ में)						
(क) कुल	283.59	257.15	218.76	230.48	220.22	121.25
(ख) अनुसूचित जातियां	86.45 [30%]	78.76 [31%]	48.47 [22%]	51.21 [21%]	49.79 [23%]	27.51 [23%]
(ग) अनुसूचित जनजातियां	58.74 [21%]	53.62 [21%]	40.92 [19%]	41.00 [18%]	38.23 [17%]	20.18 [17%]
(घ) महिलायें	136.40 [48%]	122.74 [48%]	105.27 [48%]	118.23 [51%]	116.24 [53%]	67.32 [56%]
प्रति परिवार श्रम दिवस	54 दिन	47 दिन	43 दिन	46 दिन	46 दिन	34 दिन

(स्रोतः महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, प्रतिवेदन, 2 फरवरी 2015, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली पृ0 9–10)

इस अधिनियम के अन्तर्गत जो कार्य पूर्ण हुए (कुल किये जाने वाले कार्य का 60 प्रतिशत) उनमें औसत रूप से–

1. 19 प्रतिशत कार्य ग्रामीण सम्पर्क से जुड़ा है (जैसे–ग्रामीण सड़कें)।
2. 25 प्रतिशत कार्य जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण से जुड़े हैं।
3. 14 प्रतिशत कार्य सिंचाई नहर और पारंपरिक जल निकायों की मरम्मत से जुड़े हैं।
4. 13 प्रतिशत कार्य सुरक्षा व सूखा बचाव से जुड़े हैं।
5. 14 प्रतिशत कार्य निजी भूमियों पर किये गये (छोटे और सीमान्त किसानों अजा/अजजा/बी0पी0एल0 परिवारों/इंदिरा आवास योजना भूमि सुधार लाभान्वित से जुड़े हैं।)

कतिपय अपवादों यथा इसका कार्यान्वयन राज्यों और जिलों में विषम रहा है इसके बावजूद महात्मा गांधी नरेगा ने

1. लगभग प्रत्येक जगह ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि की।
2. दुःखी होकर किये जाने वाले परंपरागत पलायन से गहन क्षेत्रों में पलायन में कमी।
3. कृषि के लिए बंजर भूमि को उपयोगी बनाने में योगदान दिया।
4. अनु0 जातियों/जनजातियों व महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण और उन्हें नई पहचान व मोलभाव (Banganing) करने में योगदान दिया है।

महात्मा गांधी नरेगा में महिला सहभागिता की स्थिति

ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में महिला सहभागिता को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों और दिशा–निर्देशों का लक्ष्य महिलाओं को समान काम और उस तक सरल पहुंच, अनुकूल कार्य परिस्थितियां, समान मजदूरी और निर्णय–निर्माण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। जबकि अन्य सार्वजनिक कार्यस्थल यथा ईंट के भट्ठे, खनन स्थल तथा औद्योगिक परियोजनाएं, महिलाओं विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं होती है।

स्पष्ट है कि यह योजना महिलाओं के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है कि उन्हें परिवार में उनकी भूमिका व उत्तरदायित्व को देखते हुए उसके गांव के दायरे में सीमित रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। समीक्षा रिपोर्ट–द्वितीय यह प्रदर्शित करता है कि समग्र स्तर पर इस योजना में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य न्यूनतम 33 प्रतिशत की सीमा से अधिक है। परन्तु विभिन्न राज्य स्तरों पर यह अलग–अलग है। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि गोवा, केरल, तमिलनाडु जैसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है जबकि उ0प्र0 जैसे राज्यों में जहां महिला साक्षरता दरें निम्न हैं वहां उनकी इस कार्यक्रम में भागीदारी भी अत्यन्त कम है।

तालिकाः 2

वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2013–14 तक कुछ प्रमुख राज्यों में महिला श्रम दिवसों का प्रतिशत निम्नवत् है।

महिला श्रम दिवस-राज्य में श्रम दिवस का कुल प्रतिशत दिवस								
राज्य	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
आन्ध्र प्रदेश	55	58	58	58	57	58	26.01	24.75
बिहार	17	28	30	30	28	29	30.63	34.97
गुजरात	50	47	43	48	44	45	42.86	43.96
जम्मू कश्मीर	4	1	6	7	7	18	19.88	23.15
केरल	66	71	85	88	90	93	92.99	93.37
म0प्र0	43	42	43	44	44	43	42.42	42.65
महाराष्ट्र	37	40	46	40	46	46	44.55	43.69
उ0प्र0	**17**	**15**	**18**	**22**	**21**	**17**	**19.70**	**22.17**
उत्तराखंड	30	43	37	40	40	45	46.93	44.88
कर्नाटक	58	50	50	37	46	46	46.25	46.39
सम्पूर्ण भारत	**40**	**43**	**48**	**48**	**48**	**47**	**51.30**	**52.80**

(स्रोतः महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा 2006–12 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पृष्ठ–19 एवं महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा–द्वितीय (2012–14) पृष्ठ 85)।

महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा–V की रिपोर्ट से यह महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होता है कि अकेले वित्त वर्ष 2013–14 में केरल में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक (93.37 प्रतिशत) रही है जबकि उ0प्र0 और जम्मू कश्मीर में महिलाओं की भागीदारी दर क्रमशः 22.17 प्रतिशत और 23.15 प्रतिशत है।

यह रिपोर्ट यह भी उद्धृत करती है कि महात्मा गाँधी नरेगा के अन्तर्गत काम में महिलाओं का हिस्सा सभी राज्यों के बाजार में अनियत मजदूरी श्रमिक में उनकें हिस्से से अधिक है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी उनके किसी भी प्रकार के अन्य काम में रिकार्ड भागीदारी से अधिक सक्रिय है। ऑकड़े स्पष्ट करते है कि महात्मा गाँधी नरेगा महिलाओं के लिए बेहतरीन और अनूकूल कार्य परिस्थितियों का निर्माण करता है।

महात्मा गाँधी नरेगा ने पारंपरिक लिंग मजदूरी अन्तर को घटा दिया है विशेष रूप से निजी क्षेत्र में। एन0एस0एस0आ0 66 वें चक्र के अनुसार इस अधिनियम में श्रमिकों की औसत मजदूरी 90.9रू प्रतिदिन पुरूषों के लिए तथा 87 रू0 प्रतिदिन महिलाओं के लिए थी। जबकि अन्य क्षेत्रों में श्रम के लिए पुरूषों को 98.3रू0 तथा महिलाओं के लिए 86.1 रू0 थी अर्थात मजदूरी की भिन्नता अधिक थी।

समीक्षा रिपोर्ट के अर्न्तगत दक्षिण राज्यों में महिलाओं की श्रम भागीदारी में वृद्धि के संभावित कारण निम्नलिखित बतलाये गये है।

1. श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को सांस्कृति स्वीकृति।
2. स्वंय सहायता समूहों का प्रभाव
3. राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रभावी संस्थान जो कि महात्मा गाँधी नरेगा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु सक्रिय है।
4. निजी क्षेत्र और महात्मा गाँधी नरेगा में मजदूरी में अन्तर।

एक अन्य अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि मनरेगा के कारण महिलाओं की प्रदत्त काम तक पहुँच बढ़ी है फलस्वरूप उनके सामाजिक आर्थिक स्तर और सामान्य कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

खेड़ा एवं नायक (2009)[2] द्वारा छः राज्यों में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 82 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि महात्मा गाँधी नरेगा को आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत माना और सर्वेक्षण की 69 महिलाओं ने कहा कि महात्मा गाँधी नरेगा ने उन्हें भूख से बचाया है। इस कार्यक्रम के माध्यम महिलाओं में आर्थिक स्वावलम्बन भी बढ़ा है क्योंकि अपनी मजदूरी पर अधिक नियंत्रण के पश्चात् व अपने छोटे ऋण को चुकाने, बच्चों के स्कूल की फीस चुकाने व स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर व्यय कर रही है।

धीरजा एवं राव (2010)[3] द्वारा छत्तीसगढ़ मे 5 जिलों की 600 महिलाओं के सर्वेक्षण में पाया गया कि 8000 रू0 से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं की संख्या महात्मा गाँधी नरेगा के गरीबों में भी सबसे गरीब के लिए महत्व को प्रदर्शित करता है।

घोष (2009)[4] अपने अध्ययन में मनरेगा जैसी योजनाओं से समावेशी सरकारी खर्च न केवल सामाजिक हित के लिए अनिवार्य है अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में आर्थिक लाभ भी दिलाता है मजदूरी भुगतान को अनिवार्य रूप से बैंक खाते के माध्यम से करने के कारण अधिक संख्या में महिलाओं को संस्थागत वित्त के दायरे में लाया जाना सुनिश्चित किया जा सका जो पहले मुख्य रूप से इससे अलग रहती थी।

महात्मा गाँधी नरेगा के अर्न्तगत ग्रामीण जनजातीय महिलाओं का भी सशक्तीकरण हुआ है और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।

इसके परिणामस्वरूप कुछ हद तक वित्तीय और निर्णय–निमाण दोनों मामले में उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई हैं परन्तु अनेक अध्ययनों के अनुसार इस कार्यक्रम में अभी भी महिला सहभागिता के मार्ग में **कई चुनौतियाँ है**–

1. उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सहभागिता का 33 प्रतिशत लक्ष्य अभी अपूर्ण है।
2. कई राज्यों में महिलाओं के लिए उपयुक्त कार्यो की गैर उपलब्धता।
3. महिलाओं के कार्यस्थल पर जाने के दौरान परिवार के पुरुष द्वारा घर पर बेकार बैठना।
4. अधिकतर कार्यस्थलों पर शिशु देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता का न होना।
5. गरीब महिलाओं के असुरक्षित समूहों पर खतरा ज्यादा होता है अतः उनकी जरूरतो और चिंताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
6. अनेक अध्ययनों में यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ग्राम पंचायतों की बैठकों में महिलाओं की सहभागिता अत्यल्प होती है।
7. ग्रामीण स्तर पर महिला समूहों/एन0जी0ओ की सक्रियता का अभाव
8. ग्रामीण समाज में महिला शिक्षा का व्यापक प्रसार न हो पाना।

निष्कर्ष

यदि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाय तो महात्मा गाँधी नरेगा के द्वारा ग्रामीण भारत के सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त होना प्रारम्भ हो गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण एवं इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी प्रभावी ढंग से बढ़ाने की आवश्यकता से जुड़े कार्यो हेतु उनके काम के घंटो को लचीला बनाने की आवश्यकता है। जिससे वे अपने घर की देखभाल व काम की जिम्मेदारी में सन्तुलन बना सकें। ग्रामीण विकास के इस व्यापक कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों या समुदाय आधारित संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है (जैसा कि दक्षिणी राज्यों में परिलक्षित हुआ है)। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पंचायत की बैठकों में महिला सहभागिता अत्यन्त कम होती है इसका कारण उनमें जागरूकता का अभाव होता है फलस्वरूप उनका यथोचित विकास संभव नहीं हो पाता है। ग्राम पंचायत की बैठकों में महिलाओं की सहभागिता को भी बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि यह पंचायतों एवं ग्रामीण विकास दोनों के सशक्तीकरण हेतु आवश्यक हैं। पंचायत जैसे वैधानिक, बुनियारी निकायों में ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता बढ़ाकर हम ग्राम विकास व महिला सशक्तीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट है कि ग्रामोदय के द्वारा भारत उदय का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है।

सन्दर्भ

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, महात्मा गांधीनरेगा समीक्षा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 पर शोध अध्ययनों का संलकलन, 2006–12, संपादन : मिहिरशाह, नई दिल्ली ओरियंट ब्लैकस्वान, 2012।
2. खेरा, रीतिका और नायक, वन्दिनी, 'विमेन वर्कर्स एण्ड पर्सेप्सन्स ऑफ दी नेशनल रूरल इम्प्लायमेन्ट गारण्टी एक्ट, ''इकोनामिक्स एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 44 (43) : 49–57, 2009।
3. धीरजा सी0 और एच0 राव, 'चेजिंग जेंडर रिलेशंसः ए स्टडी ऑफ एम0जी0एन0आर0इ0जी0एस0 अक्रास डिफ्रेरेंट स्टेट्स, हैदराबादः नेशलन इन्स्टीट्यूट ऑफ रूलर डेवलपमेन्ट (NIRD) 2010।
4. घोष, जे0 'इक्विटी एंड इन्क्लूजन थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचरः द पोटैशियल ऑफ द एन0 आर0 ई0 जी0 एस0, 'दस्तावेज एन0 आर0 ई0 जी0 ए0 पर आयोजित इण्टरनेशनल काफ्रेंस में प्रस्तुत, नई दिल्ली, 21–22, जनवरी 2009।
5. शाही, धर्मेन्द्र प्रताप (ed.) , 'ग्रामीण विकास एवं मनरेगा, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ (उ0प्र0), 2012।
6. Ministry of Rural Development in India, Department of Rural Development New Delhi.
7. महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा–एक प्रतिवेदन (02 फरवरी 2015) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा–II अनुसंधान अध्ययनों का संग्रह (2012–2014) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नई दिल्ली, भारत।
9. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (आधिकारिक बेवसाइट) www.mgnrega.nic.in